

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 29, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्र. ई-5-897-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. के. जैन, आयएस., सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 22 से 30 नवम्बर 2019 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जे. के. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. के. जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-899-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री महेश चन्द्र चौधरी, आयएस., सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 23 से 30 नवम्बर 2019 तक, आठ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2019

क्र. ई-5-925-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रोहित सिंह, आयएस., अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत साउथ कोरिया में आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आफोसर ट्रेनिंग में दिनांक 22 से 28 नवम्बर 2019 तक भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 29 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2019 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रोहित सिंह, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रोहित सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रोहित सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-1020-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अदिती गर्ग, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर स्मार्ट सिटी डवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर को दिनांक 18 नवम्बर 2019 से से 15 मई 2020 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती अदिती गर्ग, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्री श्रीकृष्ण चैतन्य, भाप्रसे, अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अदिती गर्ग, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर स्मार्ट सिटी डवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती अदिती गर्ग, भाप्रसे द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर स्मार्ट सिटी डवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्री कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अदिती गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अदिती गर्ग अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2019

क्र. ई-5-971-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती हर्षिका सिंह, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 22 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2019 तक, ग्यारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 दिसम्बर 2019 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती हर्षिका सिंह, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती हर्षिका सिंह, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती हर्षिका सिंह, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2019

क्र. ई-1-457-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री धनंजय सिंह भदौरिया (2006)	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री शमीम उद्दीन (2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल (अति. प्रभार).	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) उपरोक्तानुसार श्री धनंजय सिंह भदौरिया द्वारा संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मुकेश कुमार शुक्ला, भाप्रसे (2003) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त-सह-संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-1-459-2019-5-एक.—डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे, भाप्रसे (2006) अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल पदस्थ किया जाता है. डॉ. खाडे का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का प्रभार यथावत् रहेगा.

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे, भाप्रसे (2006) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(3) उपरोक्त कंडिका-1 के अनुक्रम में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे (1990) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एफको (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-1-458-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड (2014) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा.	अपर कलेक्टर, जिला गुना	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	श्री दिलीप कुमार यादव (2014), कार्यपालक संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्र. ई-5-995-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमर सिंह बघेल, आयएएस., अपर आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल को समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 21 से 30 अक्टूबर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 9 से 20 दिसम्बर 2019 तक बारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 21, 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमर सिंह बघेल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अमर सिंह बघेल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमर सिंह बघेल, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1073-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे, कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एफ्को तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सहायक सलाहकार राज्य योजना विभाग को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एफ्को तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सहायक सलाहकार राज्य योजना विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1101-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक कुमार, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर जिला शाजापुर को दिनांक 7 से 12 दिसम्बर 2019 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार, आयएएस., को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी

(राजस्व) शुजालपुर जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार, आयएएस., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार, आयएएस., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2019

क्र. ई-5-976-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर को दिनांक 25 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, आयएएस. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, आयएएस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, आयएएस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1026-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 15 से 31 अक्टूबर 2019 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 1 से 15 नवम्बर 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई-5-1057-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती बंदना वैद्य, आयएएस., अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 28 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बंदना वैद्य, आयएएस. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती बंदना वैद्य, आयएएस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बंदना वैद्य, आयएएस. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-1108-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अंजु अरूण कुमार, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 25 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजु अरूण कुमार, आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अंजु अरूण कुमार, आयएएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अंजु अरूण कुमार, आयएएस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीप्ति गौड़ मुकुर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक).

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2019

क्र. एफ-1(ए)389-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 8 नवम्बर 2019 को निरस्त करते हुए श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, विपुस्था. (पूर्व) लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 1 से 15 नवम्बर 2019 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.

क्र. एफ-1 (ए) 169-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, योजना, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 6 से 20 दिसम्बर 2019 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री योगेश चौधरी, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री मनोज केडिया, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, योजना, पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश चौधरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, योजना, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री योगेश चौधरी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री योगेश चौधरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश चौधरी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 1(ए)40-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक सागर, जोन, सागर को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री दीपक वर्मा, सहायक पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर रेन्ज, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 1(ए) 7-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दतिया को खण्ड वर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 7 से 13 दिसम्बर 2019 तक, कुल सात दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक

14-15 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित अण्डमान निकोबार की भ्रमण यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती | स्वयं |
| 2. श्रीमती कल्की चक्रवर्ती | पत्नी |
| 3. कु. आध्या चक्रवर्ती | पुत्री |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 30-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, सेनानी, 13वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 11 से 16 दिसम्बर 2019 तक, कुल छः दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में परिवार सहित गृह जिले के स्थान पर गोवा की भ्रमण यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. श्री अमन सिंह राठौड़ | स्वयं |
| 2. श्रीमती प्रियांशी सिंह | पत्नी |
| 3. कु. नव्या राठौड़ | पुत्री |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 13वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अमन सिंह राठौड़ भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)-61-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2019 को निरस्त करते हुए श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज

छतरपुर को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 2 दिसम्बर 2019 से 23 दिसम्बर 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अन्तर्गत उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित अंडमान-निकोबार की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|---------------------------|---|--------|
| 1. श्री अनिल माहेश्वरी | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती नीता माहेश्वरी | — | पत्नी |
| 3. कु. आकांक्षा माहेश्वरी | — | पुत्री |
| 4. संकल्प माहेश्वरी | — | पुत्र |

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे, का चालू कार्य श्री तिलकराज सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 1(ए)-61-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री मांगीलाल सोलंकी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला-डिण्डौरी को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 25 दिसम्बर 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित अंडमान निकोबार की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| 1. श्री मांगीलाल सोलंकी | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती अर्चना सोलंकी | — | पत्नी |
| 3. कु. अंजली सोलंकी | — | पुत्री |
| 4. श्री रवि सोलंकी | — | पुत्र |

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री मांगीलाल सोलंकी, भापुसे, का चालू कार्य अति. पुलिस अधीक्षक, डिण्डौरी द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मांगीलाल सोलंकी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला-डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मांगीलाल सोलंकी, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मांगीलाल सोलंकी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मांगीलाल सोलंकी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते. साथ ही दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है.

क्र. एफ-1(ए) 87-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्रीमती किरणलता केरकेट्टा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, अनूपपुर को खण्ड वर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक कुल 10 दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार सहित गोवा की भ्रमण यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. श्रीमती किरणलता केरकेट्टा	—	स्वयं
2. श्री अमृत कुमार केरकेट्टा	—	पति
3. श्री रचित केरकेट्टा	—	पुत्र
4. कु. श्रेया केरकेट्टा	—	पुत्री

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरणलता केरकेट्टा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती किरणलता केरकेट्टा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती किरणलता केरकेट्टा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ 1(ए)147-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जेल मुख्यालय, भोपाल का दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस

महानिदेशक, जेल मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)158-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. (तकनीकी सेवाएं) पु. मु. भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2019 से दिनांक 10 जनवरी 2020 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. (तकनीकी सेवाएं) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)199-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6531-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 24).— राज्य शासन, सुश्री रूपा मिश्रा पुत्री श्री मिथिलेश मिश्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला वाराणसी (उत्तरप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 16 अगस्त 1992 है.

फा. क्र. 6590-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 106).— राज्य शासन, सुश्री निशा कुरील पुत्री श्री रजनीकांत कुरील को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 5 जून 1987 है.

फा. क्र. 6591-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 111).— राज्य शासन, श्री राहुल कुमार नामदेव पुत्र स्व. श्री प्रेम नारायण नामदेव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 11 फरवरी 1988 है.

फा. क्र. 6580-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 124).— राज्य शासन, सुश्री प्रमिला राय पुत्री श्री मुन्ना लाल राय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 16 जुलाई 1992 है.

फा. क्र. 6430-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 134).— राज्य शासन, सुश्री पल्लवी सिंह पुत्री श्री राजभान सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला कटनी (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 16 अगस्त 1994 है.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6613-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 64).— राज्य शासन, श्री ऋषि तिवारी पुत्र श्री उमेश तिवारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सीधी (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 4 सितम्बर 1991 है.

फा. क्र. 6642-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 96).— राज्य शासन, सुश्री तनुश्री शिवहरे पुत्री श्री राजेन्द्र शिवहरे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 8 जुलाई 1995 है.

फा. क्र. 6500-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 137).— राज्य शासन, श्री दीपक कनेरिया पुत्र श्री रामफल कनेरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दतिया (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 5 जुलाई 1993 है.

फा. क्र. 6646-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 145).— राज्य शासन, श्री विशाल जेठवा पुत्र श्री राजेश जेठवा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 2 मई 1995 है।

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6684-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 50).— राज्य शासन, श्री तन्मय सिंह पुत्र श्री संजय सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 मई 1992 है।

फा. क्र. 6647-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 154).— राज्य शासन, सुश्री रश्मि संतोष काकोटिया पुत्री श्री संतोष सिंह काकोटिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 05 नवम्बर 1993 है।

फा. क्र. 6615-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 151).— राज्य शासन, सुश्री सुनीता देवी कोरी पुत्री श्री दीनदयाल कोरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 12 अक्टूबर 1986 है।

फा. क्र. 6321-इक्कीस-ब (दो).— राज्य शासन, एतद्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में श्रीमती प्राची मिश्रा, अधिवक्ता को उप महाधिवक्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बतायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए, उन्हें आगामी आदेश तक अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, नई दिल्ली से समबद्ध करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6429-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 153).— राज्य शासन, सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश पुत्री श्री भगत सिंह कुलेश को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला डिण्डौरी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 16 अक्टूबर 1991 है।

फा. क्र. 6081-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 156).— राज्य शासन, सुश्री रूचि परते पुत्री स्व. श्री रमेश प्रसाद परते को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सीहोर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 10 अप्रैल 1992 है।

फा. क्र. 6737-2019-इक्कीस-ब (एक).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2017 के नियम 5(1)(ए) के नियम 11 (3) एवं अनुसूची दो के प्रावधानों के अंतर्गत उनके द्वारा

कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है:—

- | क्र.
(1) | नाम एवं पद
(2) |
|-------------|---|
| 1. | श्री दयाराम अहिरवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतना. |
| 2. | श्री शैलेश भारती भदकरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ. |
| 3. | श्री दयाराम कुमारे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम. |
| 4. | कु. समीक्षा सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना. |
| 5. | श्रीमती सोमप्रभा चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालाघाट. |
| 6. | श्रीमती रश्मि बलतार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा. |
| 7. | श्री किशोर कुमार निनामा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला. |
| 8. | श्री अमित सिंह सिसौदिया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डीएनएलयू., जबलपुर. |
| 9. | श्री जफर इकबाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर. |
| 10. | श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (सी.), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दतिया. |
| 11. | श्री ब्रजेश गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर. |
| 12. | श्री अभिषेक सक्सेना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी. |
| 13. | श्री विवेक शुक्ला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर. |

- | (1) | (2) |
|-----|---|
| 14. | श्री हिमांशु शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन (मण्डलेश्वर). |
| 15. | श्री मनीष कुमार लोवंशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल. |
| 16. | श्री आशिफ अहमद अब्बासी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच. |
| 17. | श्री मनीष भट्ट, नवे व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इन्दौर. |
| 18. | श्री अब्दुलाह अहमद, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इन्दौर. |
| 19. | श्री संजय वर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीधी. |
| 20. | श्री मनोज कुमार राठी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद. |
| 21. | श्री सुनील दण्डौतिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर. |
| 22. | श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (जू.) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर. |
| 23. | श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन. |
| 24. | श्री पंकज चतुर्वेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन. |
| 25. | श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर. |
| 26. | श्री राकेश कुमार पाटीदार (सी.), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिण्डौरी. |
| 27. | श्री सुधाशु सिन्हा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छतरपुर. |
| 28. | श्री अमित कुमार गुप्ता, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, इन्दौर. |
| 29. | श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना. |

- (1) (2)
30. श्रीमती ज्योति राजपूत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपपुर.
31. कु. शैलजा गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी.
32. श्री अविनाश शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरैना.
33. श्री प्रशांत शुक्ला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़.
34. श्री आशिफ अब्दुल्ला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा.
35. श्रीमती मंजूल पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विदिशा.
36. श्री गिरिराज प्रसाद गर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नौगांव (छतरपुर).

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6711-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 35).— राज्य शासन, श्रीमती श्वेता अग्रवाल पत्नी श्री विशाल कुमार अग्रवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला हैदराबाद (तेलंगाना) है. उसकी जन्मतिथि 31 दिसम्बर, 1984 है.

फा. क्र. 6787-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 77).— राज्य शासन, सुश्री मानसी बालूजा पुत्री श्री कैलाश चन्द्र को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला जींद (हरियाणा) है. उसकी जन्मतिथि 18 अगस्त 1993 है.

फा. क्र. 6760-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 131).— राज्य शासन, श्रीमती पूनम परिहार पत्नी श्री राहुल सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 02 अगस्त 1994 है.

फा. क्र. 6733-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 152).— राज्य शासन, श्री रविशंकर भलावी पुत्र श्री पेशराम भलावी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सिवनी (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 27 जून 1994 है.

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6648-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 144).— राज्य शासन, श्री अविनाश छारी पुत्र श्री राकेश छारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुलतान व अन्य विरुद्ध यू. पी. पब्लिक सर्विस कमिशन व अन्य सिविल आपील 1867/2006 में पारित आदेश दिनांक 06 नवम्बर, 2019 में दिये गये निर्देश के अधीन इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि यदि पुलिस वेरिफिकेशन में आपके विरुद्ध प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी.

अभ्यर्थी का गृह जिला गुना (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 29 मई 1986 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2019

क्र. एफ-2-25-2005-दो-अड़तालीस.—पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की नियमावली के नियम 11 एवं 12 के अनुपालन में पदेन अध्यक्ष, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल की अध्यक्षता में प्रबंध समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.	नाम एवं पदनाम/विभाग (2)	पद (3)
1	माननीय श्री राजा पटेरिया, पूर्व विधायक, दमोह	उपाध्यक्ष
2	माननीय श्री कुणाल चौधरी, विधायक कालापीपल	पदेन सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग	पदेन सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च विभाग	पदेन पदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	पदेन सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	पदेन सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग	पदेन सदस्य
8	महानिदेशक, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ	सदस्य-सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश गुप्ता, अपर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 1(ए)-06-2016-ए-सोलह.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपी है, की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख अंकित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी, के रूप में, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश तक की जाती है —

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम (2)	श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (3)	
1	श्री अतुल यादव (सीनियर)	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, छिंदवाड़ा.	
2.	श्री सुमित शर्मा	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, होशंगाबाद.	
3.	श्री अतुल बिल्लोरे	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, मंदसौर.	
4.	श्री विश्व दीपक तिवारी	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, क्र.-2, ग्वालियर.	
5.	श्री दीपक कुमार अग्रवाल	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, खण्डवा.	
6.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सीधी.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना मेहरा अट्टट, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

अधि. क्र. 32 एफ-1-36-2019-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नलिखित नगर पालिका परिषद् देवरी, जिला सागर में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है —

अनुसूची

स. क्र.	जिले का नाम	क्र.	नगर पालिका परिषद् का नाम	क्र.	नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम व पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सागर	1	देवरी	1	श्रीमती कृष्णा नामदेव पति श्री सुनील नामदेव, पता महाकाली वार्ड, देवरी.
				2	श्री अरविन्द शांडिल्य पिता स्व. श्री शारदा शांडिल्य, पता गांधी वार्ड, देवरी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 13-27-2016-तेरह.—यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-15-2018-ए-ग्यारह, दिनांक 29 अगस्त 2018 के द्वारा मेसर्स वर्धमान यार्न लिमिटेड की सतलापुर, जिला रायसेन स्थित यूनिट क्रमांक 7 की विस्तार एवं आधुनिकीकरण परियोजना को विद्युत् शुल्क से छूट को सम्मिलित करते हुए, विभिन्न विशेष सुविधायें इस शर्त के साथ प्रदान की हैं कि परियोजना तीन वर्ष में अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी;

और, यतः, एम. पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 के द्वारा सूचित किया है कि इकाई से 1 जुलाई, 2019 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है ;

अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मेसर्स वर्धमान यार्न लिमिटेड की सतलापुर जिला रायसेन स्थित इकाई क्रमांक 7 के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् पर 1 जुलाई 2019 से शुरू होने वाली सात वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है:

परन्तु विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट इकाई क्रमांक-7 के कारण विद्यमान उच्चदाब संयोजन पर केवल अतिरिक्त विद्युत भार पर ही उपलब्ध होगी:

परन्तु यह और कि मेसर्स वर्धमान यार्न लिमिटेड को विद्यमान 132 के. व्ही. के संयोजन से अपनी इकाई क्रमांक 7 को विद्युत के प्रदाय पर विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के खंड (ख) तथा मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क नियम, 1949 के नियम 10 के उप-नियम (1) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए एक पृथक सब-मीटर स्थापित करना अपेक्षित होगा.

यह अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा 7 वर्षों तक प्रवृत्त रहेगी.

No. F-13-27-2016-XIII.—WHEREAS, the Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its order No. F-16-15-2018-A-XI, dated 29th Augut, 2018 has granted various special facilities including exemption from electricity duty for the expansion and modernization project of unit No. 7 of M/s Vardhaman Yarn Limited in Satlapur, District Raisen with the condition that the project shall start its commercial production in three years;

AND, WHEREAS, M. P. Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 11th October, 2019 has intimated that commercial production from the unit has been started on 1st July, 2019;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby exempts unit No. 7 of M/s Vardhaman Yarn Limited in Satlapur, District Raisen from payment of electricity duty on the Electricity sold or supplied by the Distribution Licensee to the existing high-tension connection for a period of seven years starting from 1st July, 2019:

Provided that such exemption from payment of electricity duty shall be available only on additional electrical load on the existing high tension connection due to unit No. 7:

Provided further M/s Vardhaman Yarn Limited shall be required to install a separate sub-meter to avail exemption from payment of electricity duty on supply of power to its unit No. 7 from existing 132 K V connection in view of the provisions of clause (b) of sub-section (2) of Section 15 of the said Act and sub-rule (1) of Rule 10 of Madhya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949.

This notification shall be deemed to have come into force from 1st July, 2019 and shall remain in force for 7 years.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग, खुडैल, जिला इन्दौर

क्र. 1039-भू-अर्जन-2019

खुडैल, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

:: अधिसूचना ::
प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक- 02/अ-82/2019-20 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	खुडैल	उज्जैनी, प.ह.नं.- 67	191/1/2/2	0.008
कुल योग			01	0.008

क्र. 1041-भू-अर्जन-2019

:: अधिसूचना ::
प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक- 06/अ-82/2019-20 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	खुडैल	धमनाय, प.ह.नं.- 68	76/4	0.009
			110/2	0.011
			112/4	0.030
			242/2	0.035
			244/2	0.023
कुल योग			05	0.108

क्र. 1043-भू-अर्जन-2019

:: अधिसूचना ::
प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक- 03/अ-82/2019-20 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	खुडैल	कपाल्याखेड़ी, प.ह.नं.-69	56/1	0.010
			56/3/2	0.014
कुल योग			2	0.024

आर. एस. मण्डलोई, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 25 नवम्बर 2019

प्र. क्र. 31-अ-82-18-19-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/ सबमाईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची		धारा (12) की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नं.	रकबा (हे. में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	
ग्वालियर	मुरार	डबका	501/3	0.050	कार्यपालन यंत्री, हरसी	हरसी उच्चस्तरीय नहर की	
			501/1	0.170	उच्चस्तरीय संभाग क्र. 02	चक मेहरोली की प्रथम	
			496/5	0.209	डबरा, जिला ग्वालियर.	माइनर निर्माण हेतु ग्राम चक	
			479/2	0.110		मेहरोली तहसील व जिला	
			455/3	0.060		ग्वालियर की भूमि का अर्जन.	
			455/1	0.090			
			456/4	0.080			
			457/3	0.060			
			457/2	0.130			
			457/1	0.060			
			450/4	0.210			
			450/3	0.010			
			479/1	0.070			
			योग . .	1.309			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग चौधरी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 नवम्बर 2019

प. क्र. 1074-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11

की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
		नगर/ग्राम	नगर/ग्राम		प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	वेलवा		0.500	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र.
		बड़गैयान-397			संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	12 सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1076-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
		नगर/ग्राम	नगर/ग्राम		प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर	रौर-561		0.200	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर	बहुती नहर के अमिलकी
	कर्चुलियान				संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	वितरक के माइनर क्र. 15 के
						नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1078-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
		नगर/ग्राम	नगर/ग्राम		प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर	पतौना-338		0.100	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर	अमिलकी वितरक के माइनर
	कर्चुलियान				संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	क्र. 17 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1080-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	नीवी शिवरतन 550	0.100	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1082-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	नवागांव कोठार-311	0.100	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1084-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवा	मढीकला-436	0.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1086-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवां	(3) मढासिगरान-4 32	(4) 0.500	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1088-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि बहुती नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) गुढ़	(3) नरहा	(4) 0.100	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	(6) बहुती मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1090-प्रशा.-भू-अर्जन-2019-20.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि बहुती मुख्य नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) गुढ़	(3) वदवार-416	(4) 0.200	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	(6) बहुती मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 30 अक्टूबर 2019

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 26-अ-82-2017-18-7013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जैतपुर
(ग) ग्राम—मजीरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—3.427 हेक्टर भूमि एवं परिसम्पत्ति.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)	(1)	(2)
		66/2	0.050
		70/1	0.035
		200	0.051
		70/2	0.035
		70/3	0.035
		92/1	0.101
		92/2	0.080
		105/1	0.020
		258/1/ख	0.020
		280/1/ख	0.010
		258/1/ग	0.020
		280/1/ग	0.010
		105/4	0.040
		258/1/घ	0.020
		280/1/घ	0.010
		258/1/ङ	0.020
		280/1/ङ	0.010
		105/6	0.040
		258//1/च	0.020
		105/7	0.040
		258/1/छ	0.020
		106/1	0.040
		111/3	0.040
		106/2	0.025
		258/2	0.020
		280/2	0.035
		108	0.055
		110	0.030
		111/2	0.040
		115/1	0.035
		115/2	0.030
		116	0.030
		117	0.031
		118/1/क	0.030
		118/1/ख	0.030
		258/1/क	0.020
		280/1/क	0.010
		133/1	0.010
		193/1/क	0.045
		195	0.040
		201	0.045
		249	0.035
		270/1	0.030
		219	0.051

(1)	(2)
223	0.089
235	0.020
237/1/3	0.035
237/1/4	0.035
237/1/5	0.035
237/1/7	0.020
250	0.040
270/2	0.030
273	0.050
279	0.031
118/2	0.025
120	0.035
288	0.020
291/1	0.012
291/2	0.012
291/3	0.012
291/4	0.010
291/5	0.010
291/6	0.010
297	0.062
299	0.020
385	0.082
386	0.071
387/2/1	0.012
388	0.065
389	0.052
390	0.031
294	0.101
401	0.052
योग . .	3.427

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रजबांध जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 7 नवम्बर 2019

क्र. 5825-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—किरनापुर
(ग) नगर/ग्राम—कोतरी, प.ह.नं.16, रा.नि.म. किरनापुर
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.272 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

भूमि स्वामी का नाम	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
रायवंताबाई पति राधेलाल	70/2	0.272

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—दूटी बांयी तट नहर प्रणाली की कटंगी मायनर के शेष निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट dm balagha@nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दूटी बांयी तट नहर बैनगंगा संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

संशोधित अधिसूचना

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 नवम्बर 2019

क्र. 8922-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन,

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-मेढ़ावानी, प.ह.नं.-37, ब. नं.-233, रा.नि.मं.-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा 01.889 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
280/2, 281/2	0.120
280/3, 282/2	0.120
285/1, 286/1, 2, 3, 289/1, 290/1, 291/1, 291/2	0.171
297/2	0.072
15	0.123
298	0.060
31	0.135
30/1	0.086
29/1	0.010
38/1, 38/2	0.120
38/3	0.082
39, 40	0.082
16	0.106
14	0.072
11/1, 11/2	0.120
340	0.040
393/1	0.060
393/2	0.028
396/3	0.042
396/4, 397/2	0.054
107	0.033
108/1, 109/1	0.033
139/1, 139/4	0.120

योग . . . 01.889

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नादना वितरक नहर से निकलने वाली 4 आर माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 21 नवम्बर 2019

प. क्र. 1092-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—रेरुआ-558	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.049 हेक्टेयर.	688	0.002
खसरा नं.	अर्जित रकबा	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
अ—निजी पट्टे की भूमि	690	0.006
439	708	0.320
	709	0.008
	710	0.177
	711	0.018
योग . .	0.049	712
		0.183
		727
		0.027
ब—म. प्र. शासन की भूमि	725	0.009
	0.000	713
		0.074
अ + ब का योग . .	0.049	724
		0.002
		714
		0.068
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	715	0.040
		योग . .
		1.205

ब—म. प्र. शासन की भूमि

0.000

अ + ब का योग . . 1.205

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 1094-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—डेलही-242
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.205 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा
	(हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
675	0.005
689	0.210

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 1096-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—सेमरीकला 617	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—1.957 हेक्टेयर.	493	0.090
खसरा नं.	अर्जित रकबा	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
अ—निजी पट्टे की भूमि		
3	0.023	489
62	0.002	433
68	0.002	486
69	0.011	434
70	0.076	435
71	0.062	443
95	0.017	438
76	0.011	439
73	0.004	440
75	0.067	
74	0.082	
77	0.003	
397	0.027	441
395	0.100	445
393	0.097	484
537	0.015	63
536	0.095	
535	0.009	
534	0.096	
415	0.037	
420	0.036	
421	0.034	
423	0.052	
503	0.093	
508	0.111	
509	0.096	
		योग . . . 1.779
		ब—म. प्र. शासन की भूमि
		441
		445
		484
		63
		0.166
		0.178
		अ + ब का योग . . . 1.957
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2019

क्र. A-3594-दो-2-57-2009.—श्री फसाहत हुसैन काजी, एस.पी.एस.ए.(एस.ए.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जावे:—

1. रजिस्ट्री आदेश क्र. बी-5607, दिनांक 13 नवम्बर 2019 के अंतर्गत दिनांक 13 से 20 नवम्बर 2019 तक, आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 16 से 20 नवम्बर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

2. दिनांक 19 से 20 नवम्बर 2019 तक, दो दिन का आकस्मिक अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री फसाहत हुसैन काजी, एस.पी.एस.ए.(एस.ए.) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री फसाहत हुसैन काजी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एस.पी.एस.ए.(एस.ए.) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2019

क्र. D-7652-दो-2-49-2019.—श्री महेश कुमार चौरसिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J-II) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 7 से 13 दिसम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेश कुमार चौरसिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J-II) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश कुमार चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J-II) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7654-दो-2-35-2019.—श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 9 से 31 दिसम्बर 2019 तक, तेईस दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

संतान पालन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2019

क्र. D-7646-दो-2-98-17.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2019

क्र. C-5764-दो-2-41-2017.—श्री आर. बी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-5766-दो-2-13-2015.—श्री अखिलेश जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 2 से 7 दिसम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7831-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 25 से 30 नवम्बर 2019 का छह: का दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7833-दो-2-41-2017.—श्री आर. बी. गुप्ता, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7835-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 18 से 19 नवम्बर 2019 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 20 नवम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7837-दो-2-45-2019.—श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली का दिनांक 22 से 25 नवम्बर 2019 तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 24 से 25 नवम्बर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. D-7839-दो-2-61-2018.—श्री अचल कुमार पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और

विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्र. D-7909-दो-2-64-2016.—श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7911-दो-2-14-2015.—श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-7913-दो-2-62-16.—श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7915-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 4 नवम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7917-दो-2-22-2017.—सुश्री शोभा पोरवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 21 नवम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री शोभा पोरवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री शोभा पोरवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-7919-दो-2-64-2016.—श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 20 से 23 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7921-दो-2-50-2017.—श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 25 से 28 नवम्बर 2019 तक चार दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7923-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 21 एवं 22 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जात है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7925-दो-2-50-2011.—श्री प्रदीप कुमार व्यास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 29 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार व्यास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप कुमार व्यास, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7927-दो-2-14-2014.—श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 22 से 23 नवम्बर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. D-7929-दो-2-86-2018.—श्री पी. के. सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 8 से 9 नवम्बर 2019 तक, दो दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. सिन्हा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद कार्यरत रहते।

क्र. D-7933-दो-2-80-2017.—श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 11 से 13 दिसम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7936-दो-2-41-18.—श्री मोहन पी. तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

क्र. D-7962-दो-2-21-2019.—श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 23 से 24 दिसम्बर 2019 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 25 से 28 दिसम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर

2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7966-दो-2-43-2017.—श्री आर. के. नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छह: दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 24 से 27 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. नागपुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद कार्यरत रहते।

क्र. D-7968-दो-2-74-2017.—श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 27 नवम्बर से 12 दिसम्बर 2019 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अजय पवार, रजिस्ट्रार.